प्रश्न – पर्यावरणीय संतुलन को देखते हुए पश्चिमी घाट का व्यापक महत्व है। इसके संरक्षण के सुझाव हेतु माधव गाडगिल समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन करें तथा सरकार द्वारा इसे स्वीकार न करने के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। **(200 शब्द)**

मॉडल उत्तर

भूमिका में निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है।

- पृथ्वी पर प्राप्त प्राकृतिक के सभी अवयवों का एक निश्चित मात्रा में होना पर्यावरणीय संतुलन है।
- लगभग 1600 किमी लम्बी पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों में फैला है।
- पश्चिमी घाट की जैव विविधता अपनी औषधीय गुणों के साथ भारतीय मानसून को प्रमुखता से प्रभावित करता है।
- यूनेस्को द्वारा इसे मानव का प्राकृतिक पर्यावास की संज्ञा के साथ विश्व के 8 सार्वधिक जैव विविधता सम्पन्न क्षेत्रों में शामिल किया गया है।
- इसके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2010 में गाडगिल समिति का गठन किया।

गाडगिल समिति के सुझाव

- इस समिति ने पूरे पश्चिमी घाट को ही पार्यवरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया।
- इसके संरक्षण के लिए इसे तीन भागों में बाँटा गया।
- तीन भागों में सूचीबद्ध गतिविधियों को पारिस्थितिकी समृद्ध और भू-उपयोग के अनुसार अनुमति देने पर बल।
- इस क्षेत्र में कृषि में कीटनाशकों और जीन संवर्धित बीजों के उपयोग पर प्रतिबन्ध।
- बड़े बांध तथा पनबिजली परियोजनाओं पर रोक तथा प्राकृतिक वानिकी पर बल।
- समिति द्वारा एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन की सिफारिश किया जिसमें राज्य तथा जिला स्तर पर भी प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान।
- शीर्ष दृष्टिकोण के साथ स्थानीय प्राधिकरणों के साथ संरक्षण हेतु शक्तियों के विकेन्द्रीकरण पर बल।

⇨ **सरकार द्वारा अस्वीकार करने के कारण।**

- पर्यावरण के अधिक अनुकूल तथा अव्यवहारिक रिपोर्ट के साथ संस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रों का विभाजन नहीं किया गया।
- ऊर्जा और विकास को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग राज्यों में सहमति का अभाव।
- राज्यों तथा स्थानीय स्तर पर राजस्व हानि का उचित समाधान नहीं किया गया।
- असामाजिक तत्वों यथा खनन, अवैध तस्करी के द्वारा रिपोर्ट को अव्यवहारिक तथा किसान विरोधी बताना।
- सर्वेक्षण के लिए परम्परागत साधनों का प्रयोग तथा नवीनता का अभाव।
- सामान्य जन में पारिस्थितिकी ज्ञान का अभाव तथा विरोध।
- सम्बन्धित राज्यों के आर्थिक हितों को देखते हुए सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सका।
- पुनः मूल्यांकन हेतु के. कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया।

संक्षिप्त निष्कर्ष